



13157(0442)/NIFT-Bhopal/Admin/2025

बेकरी संचालन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आमंत्रण
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR RUNNING BAKERY

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना वर्ष 1986 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसे भारत में शिक्षा और अनुसंधान के प्रचार और विकास के लिए वर्ष 2006 में संसद के अधिनियम, निफ्ट अधिनियम 2006 के तहत फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैधानिक दर्जा प्राप्त है। निफ्ट देश भर में फैशन व्यवसाय की शिक्षा प्रदान करता है। निफ्ट अपने 19 विभिन्न परिसरों क्रमशः बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दमन, दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, पंचकुला, पटना, रायबरेली, शिलांग, श्रीनगर और वाराणसी, में डिज़ाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी)/पीएचडी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करता है। निफ्ट फैशन के क्षेत्र में व्यवसायिकों और छात्रों की विशेष आवश्यकताओं पर केन्द्रित डिप्लोमा/सर्टिफिकेट/अल्पकालिक/हाईब्रिड पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। निफ्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

निफ्ट भोपाल, भोपाल-इंदौर बाईपास रोड, भौरी, भोपाल-462030 में स्थित है। वर्तमान में निफ्ट भोपाल में लगभग 700 विद्यार्थी और 60 कर्मचारी हैं। विद्यार्थियों व कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

निफ्ट भोपाल अपने परिसर में बेकरी की स्थापना एवं संचालन के लिए एक फूड बिज़नेस ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया में हैं। जिन नियम और शर्तों पर अनुबंध प्रदान किया जाना है, वे अगले पृष्ठों में दिए गए हैं और निम्नलिखित शीर्षकों के तहत विभाजित किए गए हैं :

- बेकरी का संक्षिप्त विवरण
- बोलीदाताओं के लिए सूचना एवं निर्देश
- नियम व शर्तें और निर्धारित कार्यक्षेत्र
- नियमों व शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना

बेकरी का संक्षिप्त विवरण

1. **स्थान** : उपरोक्त के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र भोपाल-इंदौर बाईपास रोड, भौरी, भोपाल-462030 स्थित निफ्ट के संसाधन केंद्र भवन में एक कैफेटेरिया हॉल है। बेकरी के लिए फूड कोर्ट मॉडल अनुसार लगभग 250 वर्ग फुट का क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निर्दिष्ट क्षेत्र को देखने के लिए संस्थान का दौरा करें।
2. **प्रदत्त कार्य का कार्यक्षेत्र** : बेकरी निफ्ट भोपाल के छात्रों और कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सुविधा है। लाइसेंसधारी निफ्ट भोपाल और संस्थान के छात्रों व कर्मचारियों की आवश्यकता अनुरूप सेवाएं प्रदान करेगा।
3. **पात्रता मानदंड** - कोई भी इच्छुक फूड बिज़नेस ऑपरेटर (एफबीओ) निफ्ट भोपाल में बेकरी स्थापित एवं संचालित करने के लिए आवेदन भेजने का पात्र होगा, जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है:
 - i. बोलीदाता को केक, पेस्ट्री, ब्रेड, कुकीज, डोनट्स, ब्राउनी, मफिन आदि बेकरी वस्तुओं का निर्माता होना चाहिए तथा उसके पास ओवन, मिक्सर आदि जैसे अपेक्षित उपकरणों सहित विनिर्माण सुविधा होनी चाहिए, तथा भोपाल में कम से कम एक संचालित आउटलेट/दुकान (एक साथ या अलग) होनी चाहिए, जिसका निरीक्षण नामित समिति द्वारा किया जाएगा।

- ii. बोलीदाता के पास ऐसे प्रतिष्ठान के संचालन के लिए उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण से प्राप्त प्रासंगिक और वैध दुकान और स्थापना अधिनियम/फैक्ट्री अधिनियम (जैसा लागू हो) लाइसेंस/गुमास्ता लाइसेंस होना चाहिए।
- iii. बोलीदाता का पिछले 3 वित्तीय वर्षों (अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25) में ₹75.00 लाख का वार्षिक कारोबार होना चाहिए (प्रासंगिक सहायक दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए)।
- iv. बोलीदाता के पास वैध एफएसएसआई प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- v. बोलीदाता के पास जीएसटी पंजीकरण और पैन पंजीकरण होना चाहिए।
- vi. बोलीदाता को किसी भी प्रदत्त कार्य या व्यवहार के संबंध में किसी भी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों या किसी अन्य संगठन द्वारा वर्ज्य सूचित न किया गया हो।

बोलीदाताओं के लिए सूचना एवं निर्देश

1. सामान्य:

- i. संलग्न प्रपत्र में मांगी गई सभी जानकारी संबंधित कॉलम में लिखी जानी चाहिए। यदि किसी कारण से, एक अलग पृष्ठ पर जानकारी दी जाती है, तो संबंधित कॉलम पर इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि किसी कॉलम में कोई जानकारी नहीं दी जानी है, तो भी उस कॉलम में 'शून्य' उल्लिखित किया जाना चाहिए। यदि कोई विवरण/प्रश्न आवेदक से संबंधित नहीं है तो उस कॉलम में "लागू नहीं" उल्लिखित किया जाना चाहिए। आवेदकों को सावधान किया जाता है कि अपूर्ण जानकारी, भ्रामक या गलत जानकारी देने, स्पष्ट शब्दों में जानकारी न देने, जानबूझकर जानकारी को छिपाने या निर्धारित प्रपत्रों, उल्लेखों और संलग्नकों में कोई बदलाव करने के परिणामस्वरूप उनके आवेदन को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- ii. आवेदन केवल हार्डकॉपी (मुद्रित) में होना चाहिए। बोलीदाता को सभी कॉलमों में जानकारी देनी चाहिए और आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ के साथ-साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईओआई केवल सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जाना चाहिए। वह ईओआई जो निर्धारित प्रारूप में नहीं है या अपूर्ण है या अपेक्षित दस्तावेजों के बिना जमा किए गए हैं, उन्हें पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- iii. अधिलेखन से बचना चाहिए। संशोधन, यदि कोई हो, के लिए गलती को स्पष्ट रूप से काट कर, पुनर्लेखन और तारीख के साथ आद्याक्षर करके प्रमाणित किया जाना चाहिए। ईओआई दस्तावेज के पृष्ठों को क्रमबद्ध तरीके से क्रमांकित किया गया है। अतिरिक्त पृष्ठ, यदि कोई हो जो आवेदक द्वारा जोड़ा गया है तो, उसे भी क्रमागत तरीके से लगाया जाना चाहिए।
- iv. आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी या तो तुरंत या भविष्य में गलत पाई जाती है, तो, यह स्थिति उसके अनुबंध की पात्रता खत्म कर देगी और इसी आधार पर आवेदक को भविष्य में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आवेदन भेजने से वंचित कर दिया जाएगा।
- v. ईओआई को **अनुलग्नक I और II** में दिए गए प्रोफार्मा में जमा किया जाना चाहिए। अनुलग्नक I और सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ एक सीलबंद लिफाफे पर 'तकनीकी बोली' उल्लिखित करके जमा किया जाना चाहिए; अनुलग्नक II एक सीलबंद लिफाफे पर 'वित्तीय बोली' उल्लिखित करके जमा किया जाना चाहिए। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के दोनों लिफाफे एक सीलबंद लिफाफे में जिसपर "निफ्ट भोपाल में बेकरी की स्थापना और संचालन हेतु ईओआई" उल्लिखित कर भेजे जाने चाहिए। इस सीलबंद लिफाफे में आवेदन **संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल-इंदौर बाईपास रोड, भौरी, भोपाल-462030** को संबोधित किया जाना चाहिए जिसपर बोलीदाता का पता उल्लिखित होना चाहिए। उपरोक्त आवेदन व्यक्तिगत रूप से या केवल

पंजीकृत डाक या कूरियर द्वारा भेजा जाना चाहिए जिससे कि यह आवेदन संस्थान में दिनांक **19/07/2025 शाम 05:30 बजे तक** पहुंच सके। ईमेल, टेलीग्राम या टेलेक्स द्वारा भेजे गए आवेदनों और देरी से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. तकनीकी बोली खुलने के बाद नामित समिति बोली में किए गए दावों का सत्यापन करने के लिए बोलीदाताओं की विनिर्माण सुविधा और दुकान/आउटलेट का दौरा करेगी, जिसकी रिपोर्ट तकनीकी योग्यता का हिस्सा होगी। कोई भी गलत जानकारी अयोग्यता का कारण बनेगी।
3. निफ्ट भोपाल के पास अभिरुचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज़ में उल्लिखित किसी भी नियम व शर्तों को संशोधित करने या वापस लेने या किसी भी या सभी आवेदन को बिना कोई सूचना दिए या कोई कारण बताए या बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व वहन न करने का अधिकार है और संस्थान योग्य अभिरुचि की अभिव्यक्ति आवेदन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस संबंध में निफ्ट भोपाल के अधिकारियों का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
4. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं में से बेकरी संचालक का अंतिम चयन, उद्धृत लाइसेंस शुल्क और उत्पादों पर दी जाने वाली छूट के आधार पर किया जाएगा। महत्व (weightage) calculate करने का formula अनुलग्नक-II में दिया गया है। उद्धृत छूट बोलीदाता द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में प्रदान किए जा रहे उत्पादों की न्यूनतम दर (या न्यूनतम दर से कम) पर होना चाहिए। यदि एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान हवाईअड्डे, मॉल, होटल इत्यादि जैसे प्रीमियम क्षेत्र और नियमित बाजारों में भी समान उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं, तो मूल्य निर्धारित करने के लिए दोनों स्थानों में से उत्पादों की न्यूनतम दर पर विचार किया जाएगा। हालाँकि, यदि एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान का केवल एक आउटलेट/दुकान मध्य प्रदेश राज्य में संचालित है, तो उत्पादों का मूल्य (न्यूनतम दर सूची/विवरणिका जो मध्य प्रदेश राज्य में प्रदान किए जा रहे हैं, को संलग्न करना आवश्यक है) निर्धारित करने के लिए उसी के अनुसार विचार किया जाएगा। **न्यूनतम लाइसेंस शुल्क ₹5000/- (पांच हजार रुपये) प्रति माह + जीएसटी होगी।** सफल बोलीदाता कार्य/अनुबंध आरंभ होने से पूर्व राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये) निफ्ट भोपाल को **धरोहर राशि** के रूप में जमा कराएगा। इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, और अनुबंध के सफल समापन के बाद और बकाया राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।
5. उत्पादों पर **न्यूनतम 10% की छूट** प्रदान की जानी चाहिए।
6. अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा करने से पहले, बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वह संभावित प्रदत्त कार्य की व्यवस्था से अवगत होने के लिए संस्थान का दौरा करें।
7. ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन खोले जाएंगे और वित्तीय बोली केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की ही खोली जाएगी।

नियम व शर्तें और निर्धारित कार्यक्षेत्र

1. बेकरी का संचालन शैक्षणिक सेमेस्टर के सभी दिनों में, निफ्ट भोपाल के प्राधिकारी के निर्देश अनुसार एक साप्ताहिक अवकाश के साथ, सुबह 10.00 बजे से रात 8.00 बजे तक अनिवार्य रूप से संचालित करने की आवश्यकता है। बेकरी को संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना साप्ताहिक अवकाश के अलावा किसी भी दिन बंद नहीं किया जाएगा।
2. स्थापित / उपयोग किए जाने वाले उपकरण अच्छी गुणवत्ता व निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए।
3. उपयोग की जाने वाली वस्तुएं/उत्पाद/सामग्री अच्छी गुणवत्ता और एक प्रतिष्ठित ब्रांड की होनी चाहिए। किसी भी बासी/ एक्सपायर हो चुकी वस्तु/सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा।
4. वित्तीय बोली में प्रस्तावित छूट के प्रतिशत के अनुसार सभी उत्पादों की दर-सूची, नामित समिति के परामर्श से तैयार की जाएगी तथा निफ्ट भोपाल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित की जाएगी। ये कीमतें बिना किसी वृद्धि के अनुबंध की पूरी अवधि के लिए लागू रहेंगी।

5. बेकरी के लिए आवश्यक सभी उपकरणों की व्यवस्था लाइसेंसधारी द्वारा ही की जानी है। लाइसेंसधारी द्वारा उपयोग किए जा रहे सभी उपकरणों का रखरखाव पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी है।
6. मामूली काम (रखरखाव) लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया जाएगा।
7. यह अनुबंध तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, लेकिन प्रत्येक वर्ष के अंत में इसकी समीक्षा की जाएगी तथा संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर इसका नवीकरण किया जाएगा।
8. लाइसेंसधारी केवल एनईएफटी/आरटीजीएस/ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से निफ्ट भोपाल के बैंक खाते में धरोहर राशि/ लाइसेन्स शुल्क जमा करेगा और संबंधित यूटीआर कोड नंबर **accountsteam.bhopal@nift.ac.in** पर भेजेगा।।
9. निफ्ट भोपाल के बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है:

निफ्ट जनरल खाता सं. : 549102010009108
बैंक : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोलार रोड, भोपाल-462041
आईएफएससी : UBIN055491

10. लाइसेंसधारक द्वारा मासिक लाइसेंस शुल्क हर महीने की 07 (सात) तारीख तक अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क दस (10) महीनों के लिए पूर्ण दर पर और दो (02) महीनों के लिए (कुल अवधि को ध्यान में रखते हुए जब संस्थान सत्र में नहीं होता है) उद्धृत लाइसेंस शुल्क का 50% पर देय होगा।
11. लाइसेंसधारी को उप-मीटर की वास्तविक रीडिंग के अनुसार बिजली और पानी के शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, लाइसेंसधारी, प्रदान की गई विद्युत और प्लम्बिंग फिटिंग्स/फिक्स्चर की सुरक्षा और आवंटित क्षेत्र के नियमित रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।
12. यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस शुल्क और/या बिजली शुल्क का समय पर भुगतान करने में असफल रहता है या लाइसेंस के नियमों व शर्तों का पालन नहीं करता है, तो लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा।
13. लाइसेंसधारी स्वच्छता स्थितियों से संबंधित नगरपालिका उप-कानूनों के अनुपालन और बेकरी के कर्मचारियों को वर्दी प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।
14. यह लाइसेंसधारी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह इस अनुबंध के क्रियान्वयन में उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधानों का पालन करे एवं करवाए:
 - क. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
 - ख. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952
 - ग. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
 - घ. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970
 - ङ. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम और नियम 1946
 - च. बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986
 - छ. बोनस संदाय अधिनियम और नियम 1965
 - ज. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923
15. बेकरी क्षेत्र की सफाई और हाउसकीपिंग लाइसेंसधारक की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। निफ्ट भोपाल को बेकरी परिसर की सफाई व रखरखाव और सेवाओं व उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने का अधिकार है।
16. लाइसेंसधारी दैनिक आधार पर बेकरी क्षेत्र से अपशिष्ट/कचरे को हटाने और निपटान के लिए जिम्मेदार है।
17. लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारी संक्रामक रोगों से मुक्त हैं। इस संदर्भ में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए चिकित्सीय प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी

चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसे कार्य को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और लाइसेंसधारी को उसे तुरंत बदलना होगा।

18. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त सभी व्यक्ति व्यवहार कुशल हैं और विनम्र व्यवहार रखते हैं।
19. लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को कोई आवास, चेंजिंग/विश्राम कक्ष प्रदान नहीं किया जाएगा।
20. लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के कामकाज व संबंधित सभी खर्च लाइसेंसधारी द्वारा वहन किए जाएंगे।
21. बेकरी के कर्मचारी या लाइसेंसधारी के कर्मचारी की किसी भी दुर्घटना से चोट/मृत्यु के कारण उत्पन्न देयता/उत्तरदायित्व केवल ठेकेदार का होगा। ऐसे मामलों में संस्थान प्राधिकरण किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
22. लाइसेंसधारी को इस अनुबंध के तहत अपने अधिकारों और देनदारियों को किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित करने, नियुक्त करने, गिरवी रखने या उप-अनुबंध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
23. लाइसेंसधारी को निफ्ट भोपाल के निर्दिष्ट अधिकारी से उपयुक्त निर्देश प्राप्त होंगे और आवश्यकतानुसार तुरंत सेवाएं प्रदान करनी होंगी।
24. संस्थान का निर्दिष्ट प्राधिकारी बेकरी के संचालन का निरीक्षण करेगा।
25. लाइसेंसधारी ग्राहकों से सीधे शुल्क एकत्र करेगा और इस संबंध में संस्थान ग्राहकों से किसी भी प्रकार का शुल्क लेने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
26. लाइसेंसधारी सभी करों के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जिसमें केंद्र या राज्य सरकारों या किसी स्थानीय प्राधिकरण, या निकाय द्वारा आपूर्ति के संबंध में या उसके संबंध में जारी किए गए वाणिज्यिक संपत्ति कर, बिक्री कर, जीएसटी, मौजूदा या भविष्य के कानूनों, अधिनियमों, नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि के तहत शुल्क-उपकर शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं और निफ्ट ऐसे करों, दरों, कर्तव्यों आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य में अर्जित हो सकता हो।
27. कार्य आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर, समय पर काम शुरू करने में असफलता या लाइसेंसधारी की अवैध, अनैतिक, हिंसक गतिविधियों में शामिल होने की स्थिति में, या अनुबंध के किसी भी नियम व शर्तों के उल्लंघन से लाइसेंसधारी को संस्थान की ईओआई/ किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।
28. निफ्ट भोपाल बिना कोई कारण बताए एक महीने की सूचना पर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए कोई मुआवजा/क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। अनुबंध के निरस्तीकरण या समाप्ति की सूचना की तारीख के एक महीने के भीतर ठेकेदार सभी सामान के साथ उक्त परिसर से हट जाएगा और इसे पूरी तरह से खाली कर देगा/देगी। यदि ठेकेदार सहमत अवधि की समाप्ति से पहले अनुबंध को समाप्त करने का इच्छुक है, तो ठेकेदार निफ्ट भोपाल को तीन महीने की अग्रिम सूचना लिखित रूप में प्रदान करेगा। अनुबंध की समाप्ति किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को देय किसी भी राशि का भुगतान करने और उससे पहले के किसी भी दायित्व को पूरा करने या निर्वहन करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती है।
29. अनुबंध की समाप्ति पर, ठेकेदार निफ्ट भोपाल को उचित स्थिति में फिक्स्चर और संबंधित समान के साथ उक्त बेकरी क्षेत्र और किसी अन्य परिसर का शांतिपूर्वक आधिपत्य सौंप देगा और निफ्ट भोपाल के पक्ष में अपना अधिकार भी छोड़ देगा।
30. अनुबंध या उल्लंघन से उत्पन्न या उससे संबंधित कानूनी विवाद के मामले में, या उसकी अमान्यता के मामले में, किसी भी विसंगति को पहले चर्चा द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि इसे आपसी चर्चा के

माध्यम से हल नहीं किया जाता है, तो इसे निदेशक निफ्ट भोपाल या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति से मध्यस्थता से हल करने का प्रयास किया जाएगा। दोनों पक्षों के लिए मध्यस्थ का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। सभी विवाद केवल भोपाल (म. प्र.) क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।

31. सफल बोलीदाता को स्टॉप पेपर पर अनुबंध के नियमों व शर्तों पर निफ्ट भोपाल के साथ एक अनुबंध करना होगा। पैरा 4 'नियम एवं शर्तें तथा प्रदत्त कार्य का दायरा' के अनुसार दर-सूची इस समझौते का हिस्सा होगी। ठेकेदार दो प्रतियों में हस्ताक्षरित अनुबंध के संबंध में की गई तैयारी और निष्पादन के लिए प्रासंगिक सभी लागतों/शुल्कों और खर्चों को वहन करेगा और उनका भुगतान करेगा। संस्थान मूल अनुबंध दस्तावेज़ को रखेगा और ठेकेदार उसी की प्रतिलिपि रखेगा।
32. अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन, खराब कार्य निर्वहन का रिकॉर्ड जैसे कि काम छोड़ना, अनुबंध को ठीक से पूरा नहीं करना, या वित्तीय विफलता/कमजोरियां आदि अनुबंध की समाप्ति का कारण बन सकती हैं।

नियमों व शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना

विक्रेता पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित स्थितियों पर जुर्माना लगाया जाएगा:

1. पूर्व निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उत्पादों को बेचने के बारे में प्राप्त किसी भी शिकायत पर न्यूनतम 500/- रुपए प्रति घटना का जुर्माना लगाया जाएगा।
2. संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी अन्य उत्पाद की बिक्री के बारे में प्राप्त किसी भी शिकायत पर न्यूनतम 500/- रुपए प्रति घटना का जुर्माना लगाया जाएगा।
3. बिना किसी वैध कारण के सप्ताह में दो से अधिक अवसरों पर सूची के अनुसार वस्तुओं की अनुपलब्धता को सेवा में कमी माना जाएगा और दूसरी बार ऐसा होने पर न्यूनतम 500/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
4. अनुबंध में दिए गए किसी भी नियम के प्रथम उल्लंघन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। पिछले जुर्माने के बाद उसी नियम का दोबारा उल्लंघन और निरंतर उल्लंघन करने पर लाइसेंसधारी पर जुर्माने की प्रारंभिक राशि का तिगुना जुर्माना लगाया जाएगा।
5. जुर्माना के संबंध में अंतिम निर्णय निदेशक, निफ्ट भोपाल का होगा।
6. लाइसेंसधारी को जुर्माना लगाए जाने के 15 दिनों के भीतर लगाए गए जुर्माने की पूरी एकमुश्त राशि का भुगतान करना होगा।

स्व-घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि यह एजेंसी/फर्म/व्यक्ति/कंपनी/दुकान को किसी भी प्रदत्त कार्य या व्यवहार के संबंध में किसी भी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम या किसी अन्य संगठन द्वारा वर्ज्य सूचित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर :
(मोहर सहित)

नाम/फर्म का नाम:

पता:

तारीख :

मोबाइल नंबर :

ई-मेल आईडी :

तकनीकी बोली
निफ्ट भोपाल में बेकरी संचालन के लिए
अभिरुचि की अभिव्यक्ति

1.	पंजीकरण और एफएसएसएआई प्रमाणपत्र के अनुसार फूड बिज़नेस ऑपरेटर का नाम	
2.	पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार फूड बिज़नेस ऑपरेटर का पता (निरीक्षण किया जाएगा)	
3.	दूरभाष /मोबाइल नं.	
4.	ईमेल आईडी	
5.	दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम/फैक्ट्री अधिनियम (जैसा लागू हो) लाइसेंस/गुमास्ता लाइसेंस संख्या (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
6.	एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर (लाइसेंस की प्रति संलग्न करें)	
7.	पंजीकृत फूड बिज़नेस ऑपरेटर की पैन संख्या (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)	
8.	पंजीकृत फूड बिज़नेस ऑपरेटर की जीएसटी संख्या (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
9.	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित टर्नओवर प्रमाण पत्र, जिसमें यूडीआईएन संख्या हो। प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें	

नोट: क्रम संख्या 5 से 9 में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस विषय पर मौजूदा कानूनों के अनुसार छूट लागू होगी। उपरोक्त जानकारी देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता, जब तक कि छूट न दी गई हो, बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मोहर सहित)

तारीख :

वित्तीय बोली
निफ्ट भोपाल में बेकरी संचालन के लिए
अभिरुचि की अभिव्यक्ति

1. मैं/हम निफ्ट भोपाल में बेकरी की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रतिमाह राशि रुपए/-(अंकों में) (राशि शब्दों में) के लाइसेन्स शुल्क (बिजली बिल को छोड़कर) का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।
(कृपया अंकों व शब्दों में राशि का उल्लेख करें। जीएसटी अलग से जैसा लागू होगा, वसूला जाएगा)
2. मैं/हम % की छूट (शब्दों में) प्रदान करूंगा/करेंगे।

चयन करने का मापदंड : उद्धृत लाइसेंस शुल्क का महत्व (weightage) और सेवाओं पर प्रदान की गई छूट के महत्व (weightage) की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

न्यूनतम लाइसेंस शुल्क (अर्थात् ₹ 5000/-) से ऊपर उद्धृत प्रत्येक ₹500 के लिए पांच (05) अंक दिए जाएंगे, इस प्रकार दिए गए कुल अंक 20 से अधिक नहीं होंगे।

उद्धृत न्यूनतम छूट (अर्थात् 10%) से अधिक प्रत्येक प्रतिशत की छूट के लिए पांच (05) अंक दिए जाएंगे, साथ ही दिए गए कुल अंक 80 से अधिक नहीं होंगे।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मोहर सहित)

तारीख :



13157(0442)/NIFT-Bhopal/Admin/2025

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR RUNNING A BAKERY

National Institute of Fashion Technology (NIFT) was set up by the Ministry of Textiles, Government of India in 1986 for the promotion and development of education and research in field of Fashion Technology and was accorded statutory status through an Act of Parliament, NIFT Act 2006. NIFT provides fashion business education across the country. NIFT offers Under Graduate/ Post Graduate/PhD programmes in various fields of design, management and technology through a network of 19 campuses located at Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Daman, Delhi, Gandhinagar, Hyderabad, Jodhpur, Kangra, Kannur, Kolkata, Mumbai, Panchkula, Patna, Raibareli, Shillong, Srinagar and Varanasi. NIFT also offers Diploma/Certificate/Short-term/Hybrid programmes to address the specialised needs of professionals and students in the field of fashion. NIFT has its head office in New Delhi.

NIFT Bhopal is located at Bhopal-Indore Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030. Presently NIFT Bhopal has around 700 students and 60 employees. The number of students and employees may change.

NIFT Bhopal is in the process of selection of a Food Business Operator (FBO) to set-up and operate a Bakery in the campus. The terms and conditions on which the contract is to be awarded are given in the subsequent pages and are divided under the following headings:

- Overview of the Bakery
- Information and Instructions for Bidders
- Terms and Conditions and Scope of Work
- Penalties for Violation of Rules, Terms and Conditions

OVERVIEW OF THE BAKERY SHOP

1. **Location** - The designated area is Cafeteria Hall in the Resource Centre Building of NIFT at Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030. An area measuring 250 sq ft approx., based on food court model, shall be provided. The bidders are advised to visit the Institute to physically see the designated area.

2. General scope of the Assignment:

The Bakery shall be a facility provided to the students and employees of NIFT Bhopal. The licensee shall provide the services as required by the students and

employees of NIFT Bhopal and the Institute.

3. **Eligibility Criteria** - Any interested Food Business Operator who meets the following criteria shall be eligible to apply for setting up and running the Bakery at NIFT Bhopal:

- (i) The bidder should be a manufacturer of bakery items like cakes, pastries, breads, cookies, doughnuts, brownies, muffins etc. and have a manufacturing facility with requisite equipment like ovens, mixers etc, and with at least one operational outlet/shop (co-located or separate) in Bhopal, both of which may be inspected by the designated Committee.
- (ii) The bidder should have a relevant and valid Shops and Establishment Act/Factory Act (as applicable) License/Gumasta License for running such a facility.
- (iii) The bidder should have an annual turnover of ₹ 75.00 lakh in last 3 Financial years (i.e. FY 2022-23; FY 2023-24 & FY 2024-25) (relevant supporting documents should be attached).
- (iv) The bidder should have a valid FSSAI Certificate.
- (v) The bidder should have a valid GST registration and PAN registration.
- (vi) The bidder should not have been blacklisted by any Government department, PSU or any other organisation in respect of any assignment or behaviour.

INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR BIDDERS

1. General:

- (i) All information called for in the annexed forms should be furnished against the relevant columns. If for any reason, information is furnished on a separate sheet, this fact should be clearly mentioned against the relevant column. Even if no information is to be provided in a column, a "nil" entry should be made in that column. If any particulars /queries are not applicable in case of the applicant, it should be stated as "NA". The applicants are cautioned that giving incomplete information, giving misleading or false representation, not giving information in clear terms, deliberately suppressing the information or making any change in the prescribed forms, statements and enclosures shall result in the application being summarily rejected.
- (ii) The application should be in printed form. The bidder should fill up information in all the columns and sign each page of the application as well as the submitted documents. EOI shall be submitted in the prescribed format only along with all supporting documents as required. EOIs which are not in

prescribed format or are incomplete or submitted without requisite documents shall be summarily rejected.

(iii) Overwriting should be avoided. Correction, if any, should be made by neatly crossing out, rewriting and authenticated by initialing with date. Pages of the EOI document are serially numbered. Additional sheets, if any added by the applicant, should also be numbered by him/her.

(iv) Any information furnished by the applicant found to be incorrect either immediately or at a later date, would render him/her ineligible and the applicant shall be debarred from participating in NIFT tenders/bids.

(v) The EOI should be submitted in the proforma given in **Annexure I & II**. Annexure I, along with all supporting documents should be kept in an envelope marked as 'Technical Bid' and sealed; Annexure II should be kept in an envelope marked as 'Financial Bid' and sealed. Envelopes marked as Technical Bid and Financial Bid should be kept inside a cover (envelope) which should be super scribed with the words **"EOI to set-up and Operate a Bakery in NIFT Bhopal"**, and the cover is to be sealed. The sealed cover addressed to the **Joint Director, National Institute of Fashion Technology, Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030**, and containing the address of the bidder should be personally delivered or sent by registered post or courier only so as to reach the Institute by **19-07-2025 till 05:30 PM**. Applications sent by any other mode or those received late will not be entertained.

2. After opening of the Technical Bid Designated Committee, if required, may visit the manufacturing facility and the shop/outlet of the bidders to verify the claims made in the bid, report of which shall form part of technical qualification. Any false information shall lead to disqualification.

3. NIFT Bhopal reserves the right to amend or withdraw any of the terms and conditions mentioned in the Expression of Interest document or to reject any or all the application without giving any notice or assigning any reason thereof or incurring any liability to the bidders and shall not be bound to accept the qualified Expression of Interest. The decision of NIFT Bhopal authorities in this regard shall be final and binding on all.

4. Final selection of Bakery Operator, from technically qualified bidders, shall be based on license fee quoted and discount offered on the products. Formula for calculation of weightage is given in Annexure-II. The discount quoted should be on the minimum rate (or lower than the minimum rate) of products at which they are sold by the bidder in the state of Madhya Pradesh. **Minimum License Fee will be ₹ 5000/- (Rupees Five Thousand) per month plus GST**. Successful bidder shall deposit **₹ 75,000/- (Seventy-five Thousand only) as Security Deposit** with NIFT Bhopal before the commencement of work/contract. No interest shall accrue on this

deposit and the security deposit will be returned after the successful completion of the contract and after adjusting dues, if any.

5. A **minimum discount of 10%** should be offered on all products.
6. Before submitting the Expression of Interest, the bidders are advised to visit the Institute to apprise themselves of the logistics of the prospective assignment.
7. Expression of Interest will be opened after last date of EOI submission and Financial Bid shall be opened only in respect of technically qualified bidders.

TERMS AND CONDITIONS AND SCOPE OF WORK

1. The Bakery is required to be run compulsorily throughout the academic semester, with one weekly off, as per the directions of NIFT Bhopal Authority, from 10.00 AM to 8.00 PM. The Bakery will not be closed on any day, other than the weekly off, except with the prior permission of the concerned authority.
2. Equipment installed/used shall be of good quality, conforming to laid down safety standards.
3. The items/products/ingredients used shall be of good quality and a reputed brand. No stale/expired items/ingredients shall be used.
4. A rate-list of all the products, as per percentage discount offered in the Financial Bid, shall be prepared in consultation with the designated committee and duly approved by the competent authority of NIFT Bhopal. These prices shall remain applicable for the entire period of contract, without any increase.
5. Furniture and the equipment for the Bakery has to be provided by the licensee. Maintenance of furniture and the equipment being used by the licensee is solely his responsibility.
6. The minor work (maintenance) will be borne by the licensee.
7. The contract shall be for a period of three years but shall be reviewed at the end of every year and renewed based on satisfactory performance.
8. The Licensee shall deposit the Security Deposit/License Fee in **NIFT Bhopal Bank Account through NEFT/RTGS/Online transfers only and provide the relevant UTR Code Number to accountsteam.bhopal@nift.ac.in. NIFT Bhopal Bank Account details are as under:**

NIFT General A/c No.	: 549102010009108
Bank	: Union Bank of India, Kolar Road, Bhopal-462041
IFSC	: UBIN0554910

9. Monthly License Fee shall be deposited by the Licensee by the 7th of every month in advance. License fee shall be payable for ten (10) months at full rate and for two (02) months (considering the total duration when the Institute is not in session) at 50% of the quoted license fee.
10. The licensee has to pay the electricity & water charges as per actual consumption as per sub-meter. Further, the licensee shall be responsible to protect the electrical and plumbing fittings/fixtures provided and for carrying out routine maintenance of the allotted area.
11. If the Licensee fails to pay the License Fee, and/or Electricity Charges in time or does not abide to the terms and conditions of the agreement, the License will be terminated.
12. The Licensee shall be personally responsible for compliance of Municipal by- laws relating to sanitary conditions and provide liveries to the staff of the Bakery.
13. It will be the sole responsibility of the Licensee to abide by the provisions of the following acts as to the workers engaged by him for performance of this contract.
- (a) Minimum Wages Act 1948.
 - (b) Employee Provident Fund Act 1952
 - (c) Employee State Insurance Act 1948
 - (d) Contract Labour (Abolition & Regulation) Act 1970.
 - (e) Industrial Employment (standing orders) Act and rules 1946.
 - (f) Prohibition of Child Labour Act 1986.
 - (g) Payment of Bonus Act and Rules 1965.
 - (h) Workmen compensation Act 1923
14. Cleaning and housekeeping of the Bakery area will be the sole responsibility of the licensee. NIFT Bhopal would reserve the right to check on cleanliness and upkeep of premises and quality of services and products.
15. The licensee is responsible for removal and disposal of waste/garbage from the Bakery area on a daily basis.
16. The licensee should ensure that all the employees are free from communicable diseases. Medical Certificate to this effect should be available for inspection by the authorities. If any worker is found to be medically unfit, he/she may not be given permission to continue his/her duties and licensee has to replace them immediately without fail.
17. The licensee shall ensure that all persons employed by the licensee are well mannered and display courteous behavior.
18. No accommodation, no changing/resting room, will be provided to the

workmen of the licensee.

19. All expenses related to the functioning of the employees engaged by the licensee shall be in the scope of the licensee.

20. Liability/responsibility in case of any accident, causing injury/death to bakery worker or any of his staff shall be of the licensee. The Institute authorities shall not be responsible in any means in such cases.

21. The licensee shall not be allowed to transfer, assign, pledge or sub-contract its rights and liabilities under this contract to any other agency.

22. The licensee shall get suitable instructions from the designated official of NIFT Bhopal and shall provide the services promptly as per requirement.

23. Designated authority of the Institute will supervise the Bakery operations.

24. The licensee shall collect the charges from users and the Institute is not responsible for collection of any charges from users.

25. The Licensee shall be wholly responsible for payment of any and all taxes including but not limited to commercial property tax, sales tax, GST, duties, cess under the existing or future Laws, acts, Rules, Orders, Notifications etc., issued by the Central or State Governments or any local authority, or body in respect or in connection with supplies and NIFT shall not be liable to pay such taxes, rates, duties etc., whether existing or which may accrue in future.

26. Failure to start work within 15 days after issuing of work order or involvement of the licensee in illegal, unethical, violent activities or breach of any terms and conditions of the agreement will lead to debarment of the licensee from participating in any of the Tender/EOI of the institute.

27. NIFT Bhopal reserves the right to terminate the contract at one month's notice without assigning any reason, for which no compensation / damages will be paid. The contractor shall remove himself / herself from the said premises with all belongings and leave it entirely vacant within one month of the date of notice of revocation or termination of the contract. In case the contractor is desirous of terminating the contract before expiry of the period agreed, then contractor shall provide three-month advance notice in writing to NIFT Bhopal. The termination of the contract shall not release either party of its obligation to pay any sums then owing to the other party and also perform or discharge any liability that had been incurred prior thereto.

28. On the expiry of the contract, the contractor shall hand over peacefully, possession of the said Bakery area and any other premises, together with fixtures and articles therein, in good condition to NIFT Bhopal and also shall give up his right

in favour of NIFT Bhopal.

29 . In case of a legal dispute arising out of or relating to the agreement or breach, or the invalidity thereof, the same shall first be attempted to be settled by discussions. If the same is not resolved through mutual discussions, then the same shall be referred to the sole arbitration of the Director, NIFT Bhopal or any person nominated by him. The decision of the arbitrator shall be final and binding on both the parties. All disputes are subject to Bhopal (MP) jurisdiction only.

30. The successful bidder will have to make an agreement with NIFT Bhopal on terms and conditions of the contract on stamp paper. The list of rate-list, as per Para 4 'Terms and Conditions and Scope of Work', shall form part of this agreement. The contractor shall bear and pay all the costs / charges and expenses incidental to the preparation and execution of the signed agreement in duplicate. The Institute shall retain the original contract document and the contractor shall keep the duplicate of the same.

31. Violation of any of the terms of agreement, record of poor performance such as abandoning work, not properly completing the Contract, or financial failures /weaknesses etc. may lead to termination of contract.

PENALTIES FOR VIOLATION OF RULES, TERMS AND CONDITIONS

The vendor will be fined inter alia in the following situation:

1. Any complaint about selling the services or products at a higher price than the pre-decided price will attract a minimum penalty of Rs.500/- per incidence.
2. Any complaint about selling any product outside the agreement without the permission of concerned authorities will attract a minimum penalty of Rs.500/- per incidence.
3. For any rule stated in the agreement first violation of the rule implies fine as per the rule. Second and subsequent violations of the same rule on a different day of the previous fine will attract triple the initial amount of fine on the licensee.
4. The final decision of fines being imposed lies with the Director, NIFT Bhopal.
5. The licensee has to pay the fine within 15 days of the fine imposed in one lumpsum, the full amount of the fine imposed.

SELF-DECLARATION

I hereby declare that the information given above is true and correct to the best of my knowledge & belief and nothing has been concealed thereof. I also declare that the Agency/Firm/ Person/ Company/ Shop has not been blacklisted by any Government department, PSU or any other organisation in respect of any assignment or behaviour.

SIGNATURE :
(with stamp)

NAME / FIRM NAME :

ADDRESS :

DATE :

MOBILE No :

E-MAIL ID :

TECHNICAL BID
EXPRESSION OF INTEREST
FOR RUNNING BAKERY AT NIFT BHOPAL

1.	Name of the Food Business Operator as per Registration & FSSAI Certificate	
2.	Address/s of the Food Business Operator, as per Registration Certificate (shall be inspected)	
3.	Land Line/ Mobile No.	
4.	Email ID	
5.	Shops and Establishment Act/Factory Act (as applicable) License/Gumasta License No. (attach copy of Registration Certificate)	
6.	FSSAI License No. . (attach copy of License)	
7.	PAN No. in respect of the registered Food Business Operator (attach copy of PAN Card)	
8.	GST No. in respect of the registered Food Business Operator (attach copy of Certificate)	
9.	Turnover Certificate attested by a Chartered Accountant with UDIN No.	attach copy of Certificate

NOTE: Submission of documents mentioned at Ser No 5 to 9 is mandatory. Exemptions will be applicable as per existing laws on the subject. Failure to furnish above information or submission of documents, unless, otherwise exempted, will result in disqualification of the bidder.

(Signature with stamp of the Authorised Signatory)

Date:

FINANCIAL BID
EXPRESSION OF INTEREST
FOR RUNNING BAKERY AT NIFT BHOPAL

1. I/We offer to pay to NIFT Bhopal, a License fee (excluding water & electricity charges) of Rs..... (in figures) Rupees (in words) per month for running Bakery at NIFT Bhopal.

(Please mention the amount in figures and in words. GST shall be charged separately, as applicable)

2. I/We shall offer a discount of.....% (in words,) per item.

Criteria of Selection: Weightage for License fee Quoted and discount offered on services will be calculated as under: -

Five (05) Marks will be awarded for every ₹ 500 quoted above the Minimum License Fee (i.e. ₹ 5000/-) with the total marks so awarded not exceeding 20.

Five (05) Marks will be awarded for every percentage of discount above the Minimum discount (i.e. 10%) quoted with the total marks so awarded not exceeding 80.

(Signature with stamp of the Authorised Signatory)

Date: